परिशिष्ट–1 (5)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक/एफ 5–2/2009/10–3 भोपाल, दिनॉकः 13 मार्च, 2013

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   वन/वित्त/ योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/लोक निर्माण/जलसंसाधन/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग।
5. भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि
6. डब्ल्यू डब्ल्यू एफ, मध्यप्रदेश, रायबा बिल्डिंग, पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. अरण्या भोपाल, जी–3/376, गुलमोहर कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश–462039
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), मध्यप्रदेश।
9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश।

विषय :– मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 11.02.2013 का कार्यवाही विवरण।

—0—

मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में गठित स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की आयोजित की गई चतुर्थ बैठक दिनांक 11.02.2013 का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(बी.आर. सुनहरे)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 5–2/2009/10–3 भोपाल, दिनॉकः मार्च, 2013

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, म.प्र., मंत्रालय भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय संचालन समिति की ओर कार्यवाही विवरण प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रेषिती के सरल क्रमांक 5,6 एवं 7 को उक्त कार्यवाही विवरण अपने स्तर से भेजने का कष्ट करें।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

269
15/3/13

मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित, मध्य प्रदेश स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 11.02.2013 का कार्यवाही विवरण

–0–

दिनांक 11.02.2013 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की चतुर्थ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–I पर है। बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–

1. राज्य स्तरीय संचालन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14.12.2011 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन –-

राज्य स्तरीय संचालन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14.12.2011 के कार्यवाही विवरण का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

2. राज्य स्तरीय संचालन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14.12.2011 में लिये गये निर्णय का पालन प्रतिवेदन –

राज्य स्तरीय संचालन समिति की तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

(i) एजेण्डा बिन्दु–1 – वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में प्राकृतिक पुनरूत्पादन को बढ़ावा देने हेतु खरपतवार एवं लेंटाना मोपिंग हेतु रू. 15.05 लाख राशि का आवंटन –

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में खरपतवार एवं लेंटाना मोपिंग का कार्य आयोजना (मजदूरी) मद एवं केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सेन्ट्रल जू अथॉरिटी) से प्राप्त राशि से पूर्ण कराये जाने के कारण अब आवश्यकता शेष नहीं रहने के कारण तृतीय बैठक में दी गई स्वीकृति निरस्त की गई।

(ii) एजेण्डा बिन्दु –2 – औबेदुल्लागंज वनमंडल में कैम्पा मद में जमा एन.पी.व्ही. की राशि से वन सुरक्षा एवं वन संरक्षण कार्य कराये जाने हेतु रू.15.50 लाख का प्रस्ताव –

वर्तमान में आवश्यकता नहीं होने के कारण तृतीय बैठक में दी गई स्वीकृति निरस्त की गई।

(iii) एजेण्डा बिन्दु–3, 4 एवं 5 – राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दि. 14.12.2011 में लिये गए निर्णयों पर की गई कार्यवाहियों से समिति अवगत हुई।

3. बैठक में रखे गये एजेण्डाओं पर चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिए गए :–

एजेण्डा क्रमांक –1

(i) भारत सरकार को प्रेषित राशियों का मिलान –

भारत सरकार को भेजी गई राशियों एवं अंक मिलान कार्य से समिति अवगत हुई भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों के खातों में जमा की गई राशि रू.35,32,85,955/– को शीघ्र ही प्रदेश के खाते में जमा करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(ii) वर्ष 2012–13 हेतु संभावित उपलब्ध राशि एवं विभिन्न मदों में व्यय के प्रस्ताव –

एड–हॉक कैम्पा में राज्य द्वारा अभी तक जमा की गई राशि, राज्य को उपलब्ध की जाने वाली संभावित राशि एवं विभिन्न मदों में प्रस्तावित ए.पी.ओ. अनुसार प्रस्तावित व्यय की राशि से समिति अवगत हुई

एजेण्डा क्रमांक –2

(i) वर्ष 2012–13 में वैकल्पिक वनीकरण के नवीन प्रस्ताव –

समिति द्वारा वैकल्पिक वनीकरण की 76 नवीन योजनाओं की कुल लागत रु.49.19 करोड़ का अनुमोदन किया गया। प्रथम किश्त 21.45 करोड़

(ii) वर्ष 2012–13 में वैकल्पिक वनीकरण के नवीन प्रस्ताव जिनमें मूल्य वृद्धि के कारण अधिक राशि की आवश्यकता है –

समिति द्वारा वैकल्पिक वनीकरण की 32 नवीन योजनाओं (जिनमें अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है) की कुल लागत रु.16.96 करोड़ का अनुमोदन किया गया। प्रथम किश्त – रु. 8.17 करोड़

एजेण्डा क्रमांक – 3

नर्मदा जल परियोजना, भोपाल द्वारा रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कैम्पा मद में जमा कराई गई राशि का उपयोग–

आवेदक संस्था से रातापानी अभयारण्य में वन्य जीव संरक्षण हेतु कुल प्राप्त राशि रू.12.00 करोड़ में से राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक, दिनांक 28.0?.2011 में स्वीकृत राशि रू.8.34 करोड़ के अतिरिक्त शेष रू.3.66 करोड़ की राशि समिति द्वारा स्वीकृत की गई।

एजेण्डा क्रमांक –4

कैम्पा सैल का सुदृढ़ीकरण

कैम्पा सैल के सुदृढ़ीकरण हेतु रखे गये प्रस्ताव में से समिति द्वारा विचारोपरान्त वाहनों के प्रस्ताव को छोड़कर शेष प्रस्ताव राशि रू.17.25 लाख का अनुमोदन किया गया।

–18–

वाहन क्रय हेतु समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि कैम्पा सैल के प्रशासनिक व्यय हेतु कुल राशि का कुछ प्रतिशत निश्चित किया जावे एवं वाहनों के संचालन एवं रखरखांव आदि पर होने वाले recurring व्यय के संबंध में नीति/व्यवस्था पर विचार किया जाकर प्रस्ताव विचार हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा क्रमांक – 5

कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी स्वीकृतियों के कार्योत्तर अनुमोदन

राज्य स्तरीय संचालन समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14.12.2011 द्वारा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष को दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत कुल दो कार्य – (i) राजीव सागर परियोजना के अंतर्गत व्यपवर्तित वन क्षेत्र में मार्किंग एवं डिमार्केशन कार्य एवं (ii) भू–प्रबंध शाखा के संचालन हेतु डेस्कटॉप, लेपटॉप, प्रिंटर एवं सहायक उपकरणों के क्रय, हेतु जारी की गई स्वीकृतियॉ राशि क्रमशः रू.2.34 लाख एवं रू.5.00 लाख का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 6

वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में आवेदक संस्थाओं से प्राप्त विदोहन व्यय की राशि के उपयोग के संबंध में –

समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में आवेदक संस्था से प्राप्त विदोहन व्यय की राशि का सीधे व्यय न किया जाकर राजस्व मद में जमा किया जावे तथा वित्त विभाग द्वारा इन प्रकरणों में विदोहन कार्यों हेतु पृथक से बजट मद बनाया जाकर बजट में राशि का प्रावधान रखा जावे, ताकि वर्ष में भारत सरकार से स्वीकृत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में विदोहन कार्य राशि के अभाव में लंबित नहीं रहे और विलम्ब के कारण वन भूमि हस्तांतरण में व्यवधान न हो।

एजेण्डा क्रमांक –7

कैम्पा मद के संचालन हेतु आहरण एवं संवितरण के अधिकारों बाबत् –

समिति द्वारा सहायक वन संरक्षक (कैम्पा) को कैम्पा मद के कार्यों हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 8

राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष की राशि विमुक्त करने का अनुमोदन कार्यकारिणी समिति को प्रदान किये जाने बाबत् –

समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भविष्य में जिन योजनाओं/कार्यों का अनुमोदन राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जा चुका है, उनके प्रत्येक वर्ष की राशि की मांग के लिये संचालन समिति के समक्ष जाने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जावे।

एजेण्डा क्रमांक – 9

वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) का अनुमोदन

समिति द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित राशि रू.219.46 करोड़ की वार्षिक क योजना (ए.पी.ओ.) का परिशिष्ट–II अनुसार, अनुमोदन किया गया।

वर्ष 2013–14 के ए.पी.ओ. पर विचार के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक यथासंभव शीघ्र बुलाये जाने के निर्देश दिये गये।

अतिरिक्त एजेण्डा क्रमांक – 1 (अ)

वर्ष 2012–13 में वैकल्पिक वनीकरण के नवीन प्रस्ताव –

समिति द्वारा वैकल्पिक वनीकरण के 5 नवीन योजनाओं की कुल लागत रु.43.92 करोड़ का अनुमोदन किया गया। प्रथम वर्ष हेतु रु. 15.79 करोड़ ✓

अतिरक्त एजेण्डा क्रमांक – 1 (ब)

वर्ष 2012–13 में वैकल्पिक वनीकरण के नवीन प्रस्ताव जिनमें मूल्य वृद्धि के कारण अधिक राशि की आवश्यकता है –

समिति द्वारा वैकल्पिक वनीकरण के 24 नवीन योजनाओं (जिसमें अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है) की कुल लागत रु.17.96 करोड का अनुमोदन किया गया। प्रथम वर्ष रु. 6.57 करोड़ ✓

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु क्रमांक –2

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तार्गत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के अन्तार्गत वनीकरण कार्यों के क्रियान्वयन का अधिकार राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति को दिए जाने बाबत्।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के I.A. No. 2143 in W.P.(C) No.202/95 में आदेश दिनांक 10.07.2009 में पैरा क्रमांक B(iii) में भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में अधिरोपित शर्तों के अधीन वनीकरण कार्यों (वैकल्पिक वृक्षारोपण/दांडिक रोपण/सड़क किनारे/नहर किनारे रोपण/बौना पौधा रोपण/औषधीय रोपण/सेफ्टी जोन निर्माण/सेफ्टी जोन में रोपण/कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट इत्यादि) के लिये एड–हॉक कैम्पा से संबंधित राज्यों को तत्काल राशि विमुक्त करने बाबत् आदेश दिये गये। इन प्रकरणों में राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा पुनरावलोकन (रिव्यू) करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इन प्रकरणों में अनुमोदन जारी करने के लिये राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति को अधिकृत किया जाता है।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु क्रमांक –3

अमिलिया (नार्थ) कोल ब्लॉक के आसपास के क्षेत्र में वन्य प्राणियों व संरक्षण हेतु वन्य प्राणी संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव –

अमिलिया (नार्थ) कोल ब्लॉक परियोजना के अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रावधानित कुल राशि रू.14.00 करोड़ की योजना प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित की गयी।

अन्य –

बैठक के दौरान जिन सामान्य बिन्दुओं पर चर्चा हुई तथा निर्देश दिये गये वे निम्नानुसार हैं :–

(i) व्यय की प्रगति में यथासंभव सुधार लाया जावे।

(ii) चूंकि मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एड–हॉक कैम्पा के प्रतिवर्ष राशि विमुक्त पर 5 वर्षों के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है, और यह सीमा अगले वर्ष समाप्त होने वाली है अतः वन विभाग एड–हॉक कैम्पा से अधिक राशि प्राप्ति की कार्यवाही प्रारंभ करें। अगर आवश्यक हो तो मान. सर्वोच्च न्यायालय में भी इस संबंध में अपना पक्ष रखने के विकल्प पर विचार करें। दोनों कार्यो के लिए अगर किसी अधिकारी को दिल्ली प्रवास पर भेजने की भी आवश्यकता हो तो वह भी की जावे।

(iii) कैम्पा मद के अन्तर्गत innovative कार्य लेने पर वन विभाग कार्यवाही करे।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्नः–

(1) परिशिष्ट I एवं II

(2) राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हेतु एजेण्डा

(3) राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक हेतु अतिरिक्त एजेण्डा

(विश्राम सागर शर्मा)
अपर सचिव,
म0प्र0शासन, वन विभाग

माननीय मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 11.02.2013 में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की सूची

अ.क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री एस.आर.मोहन्ती	प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
2	श्री आर.एस.नेगी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश
3	श्री नरेन्द्र कुमार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–आभिलेख), मध्य प्रदेश
4	श्री मनीष रस्तोगी	आयुक्त, बजट
5	श्री प्रशान्त कुमार	सचिव, वन विभाग
6	श्री ओ.पी.खरे	मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्य प्रदेश
7	श्री एल.एम. बेलवाल	CEO, NRLM P&RD Department
8	श्री एन.एस.डुंगरियाल	मुख्य वन संरक्षक (एन.पी.वी.), मध्य प्रदेश
9	श्री एम. यादवेन्दु	मुख्य वन संरक्षक (विकास), मध्य प्रदेश
10	श्री सी.के.पाटिल	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश
11	श्री आर.के.मेहरा	अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग
12	श्री अखिलेश अग्रवाल	सहायक वन संरक्षक (कैम्पा), मध्य प्रदेश
13	श्री मार्कण्डेय सिंह	प्रतिनिधि, अशासकीय संगठन, डब्ल्यु.एब्ल्यु.एफ.–आई, भोपाल.
14	सुश्री अर्चना	प्रतिनिधि, अशासकीय संगठन, अरण्या

-22-